



क्रमांक/521 /D.U.H.S./गोप./2022

रायपुर, दिनांक 04 /05/2022

**//आदेश//**

विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की 28वीं बैठक में दिनांक 22.03.2022 के निर्णय क्रमांक 9 में पैनल मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

“विश्वविद्यालय में मूल्यांकन उपरांत पैनल मूल्यांकन स्नातक पाठ्यक्रम के दो विषयों के दो पेपर में किया जायेगा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पैनल मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा पैनल मूल्यांकन शुल्क पुनर्मूल्यांकन शुल्क के दोगुना अर्थात् रूपए 1000.00 लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, पैनल मूल्यांकन में 35 प्रतिशत अंक की बाध्यता नहीं रहेगी। पूरक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का पैनल मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, बाकी नियम शर्तें पुनर्मूल्यांकन के शर्तों के समान होगी।”


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/522/D.U.H.S./गोप./2022

रायपुर, दिनांक 04/05/2022

प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता/प्राचार्य, समस्त महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कुलसचिव